



प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग:**लखनऊ: दिनांक: 10 मार्च, 2026**

विषय:- "उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति-हमारी पहचान" के अन्तर्गत "संस्कृति उत्सव-2025-26" में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय आदि की व्यवस्थाओं पर हुए वास्तविक व्यय की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 4427/सं०नि०-15(104)/2025-26 दिनांक 20 फरवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या- 2026/3757/चार-2026 दिनांक 03 जनवरी, 2026 के क्रम में "उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति-हमारी पहचान" के अन्तर्गत "संस्कृति उत्सव-2025-26" में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता कलाकारों द्वारा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस-2026 के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल, लखनऊ में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की गयी है। उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय एवं किराया शासनादेश दिनांक 22.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार निर्धारित किया गया है। कलाकारों के मानदेय, किराया एवं कार्यक्रम का व्यय का विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	कलाकार का नाम	मानदेय	किराया	कुल मानदेय
1	विद्यापीठ पब्लिक स्कूल (डोमकच कमेटी) मऊ	35,000.00	-	35,000.00
2	श्री विपुल सिंह, मऊ	40,000.00	-	40,000.00
3	श्री निखिल वर्मा, जालौन	10,000.00	-	10,000.00
4	सुश्री दीपशिखा रायजादा, गाजियाबाद	40,000.00	-	40,000.00
5	सुश्री दिव्यांजली लखेरा, झांसी	20,000.00	-	20,000.00
6	सुश्री रेशम गौड़,	20,000.00	1,241.00	21,241.00
7	सुश्री दिव्यांशी सिंह, रायबरेली	15,000.00	2,602.00	17,602.00
8	सुश्री रोहिणी श्रीवास्तव, आजमगढ़	15,000.00	402.00	15,402.00
9	सुश्री नंदिनी, सम्भल	15,000.00	137.00	15,137.00
10	सुश्री सुहानी गुप्ता, गाजियाबाद	15,000.00	2,879.00	17,879.00
11	सुश्री उर्वशी महेड़िया, गाजियाबाद	15,000.00	3,267.00	18,267.00
12	श्री साकेत कुमार, बांदा	15,000.00	-	15,000.00
13	श्री जनमेजय सिंह, जालौन	15,000.00	-	15,000.00
14	श्री आदर्श कुमार भारद्वाज, मऊ	15,000.00	2,255.00	17,255.00
15	सुश्री महिमा बागेश्वरी, आजमगढ़	15,000.00	4,500.00	19,500.00
16	श्री अतुल सिंह, चित्रकूट	20,000.00	-	20,000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

17	सुश्री प्रियंका वर्मा, कासगंज	15,000.00	582.00	15,582.00
18	सुश्री दीप्ती भारद्वाज, अलीगढ़	30,000.00	3,270.00	33,270.00
19	सुश्री आकांक्षा राय, लखनऊ	15,000.00	-	15,000.00
20	कुँवर आशीष गौतम, अलीगढ़	15,000.00	806.00	15,806.00
21	सुश्री मुस्कान वर्मा, हरदोई	30,000.00	648.00	30,648.00
22	सुश्री पल्लवी त्रिवेदी, लखनऊ	2,000.00	-	2,000.00
23	सुश्री सीमा भारद्वाज, लखनऊ	2,000.00	-	2,000.00
24	श्री कमलेश दुबे, लखनऊ	2,000.00	-	2,000.00
25	डॉ० मंजू, लखनऊ	2,000.00	-	2,000.00
26	श्री रविनाथ मिश्र, लखनऊ	2,000.00	-	2,000.00
27	श्री रविराज शंकर, लखनऊ	2,000.00	-	2,000.00
28	श्री माधव शर्मा, अलीगढ़	10,000.00	5,000.00	15,000.00
29	श्री राघव शर्मा, अलीगढ़	10,000.00	5,000.00	15,000.00
30	मे० फेलीज इवेंट एण्ड हास्पिटलिटी सर्विस, लखनऊ	2,41,546.00	-	2,41,546.00
	कुल योग - (रु० सात लाख इकतीस हजार एक सौ पैंतीस मात्र)			7,31,135.00

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार "उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति-हमारी पहचान" के अन्तर्गत "संस्कृति उत्सव-2025-26" में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय आदि की व्यवस्थाओं पर हुए वास्तविक व्यय **रु० 7,31,135/- (रूपये सात लाख इकतीस हजार एक सौ पैंतीस मात्र)** की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति एतद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
- (4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
- (5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
- (7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
- (8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
- (9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निर्वर्तन पर है, अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-25-उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव-2024-25 - 42- अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।